प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त(सामान्य)अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक : 24 जून, 2015

विषय:- ऑन लाईन पेंशन स्वीकृति प्रणाली "ई-पेंशन सिस्टम" का क्रियान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पेंशन निदेशालय के पत्र संख्या-पे0नि0/कम्प्यू0/ई-पेंन/2015/3376, दिनॉक 10-06-2015 द्वारा प्रस्ताव किया गया है कि प्रदेश के समस्त आई0ए0एस0, आई0पी0एस0, आई0एफ0एस0 एवं प्रान्तीय सिविल सेवा, प्रान्तीय न्यायिक सेवा तथा प्रान्तीय वित्त एवं लेखा सेवा के उन अधिकारियों जिनके वेतन का आहरण, इरला चेक (वेतन पर्ची) प्रकोष्ठ, उ0प्र0 सचिवालय, अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय (शिविर कार्यालय) इलाहाबाद, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद, वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत वेतन पर्ची के आधार पर किया जाता है, को प्रशासनिक एवं व्यवहारिक कठिनाईयों के कारण ई-पेंशन सिस्टम प्रणाली से सम्प्रति मुक्त रखा जाये।

2- उपर्युक्त के अतिरिक्त निदेशक, पेंशन के पत्र संख्या-पे0नि0/ऑन लाईन पेंशन/2015/3597, दिनॉक 19-06-2015 द्वारा अवगत कराया है कि काफी अधिक संख्या में आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा अभी तक डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त नहीं किये गये है जिसके फलस्वरूप डी0डी0ओ0 द्वारा ई-पेंशन फार्म पोर्टल पर अपलोड करना सम्भव नही हो सकेगा एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन प्रकरण अवरूद्ध रहेंगे। अत: डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने में लगने वाले समय के दृष्टिगत शासनादेश दिनॉक 30 अप्रैल, 2015 में निर्धारित तिथि 30-06-2015 को बढ़ाकर दिनॉक 31-08-2015 की जाती है।

--2/-

1- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- निदेशक, पेंशन के उपर्युक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा एतद्द्वारा यह आदेश दिये जाते हैं कि अगले आदेशों तक उपर्युक्त सेवा संवर्गो के सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों के पेंशन प्रकरण पूर्व व्यवस्था की भांति निस्तारित किये जाते रहेंगे। शासनादेश संख्या-4/2015/सा-3-441/दस-2015-301(18)/2013, दिनाँक 30 अप्रैल, 2015 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-12/2015-सा-3-585(1)/दस-2015-301(18)/2013, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, पेंशन, उ0प्र0, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
2- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- समस्त अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक/ राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
6- नियुक्ति अनुभाग-1/3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गृह(पुलिस सेवायें)अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
8- न्याय अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
9- वन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
10- सचिवालय प्रशासन, इरला चेक (वेतन पर्ची) प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

1- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।